समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला योजना कार्यालय)
निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत, बेगूसराय जिले के विभिन्न स्तर से शैक्षणिक विद्यालयों / महाविद्यालयों संस्थानों के पुस्तकालय में पुस्तकों की आपूर्त्ति हेतु वर्ष 2016–17 के लिए माननीय विधायकों / पार्षदों से अनुशंसा प्राप्त है, जिसके आलोक में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

पुस्तक आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता / अधिकृत विक्रेता / तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहबरबंद लिफाफे में दिनांक– 14.02.2017 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, बेगूसराय में जमा कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय की अध्यक्षता में अनुमोदित पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर निविदादाता पुस्तकों की सूची की छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जिला के वेबसाईट www.begusarai.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक– 14.02.2017 को अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं।

तकनीकी निविदा की शर्त्तें ::–

1. क्रय की जानेवाली पुस्तकों की टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन / संशोधन मान्य नहीं होगा।
2. क्षति ग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. प्रत्यके पुस्तक अधिकतम आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।
4. निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाय।
   - पुस्तक का नाम –
   - लेखक का नाम एवं पूरा पता –
   - प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता –
   - विषय –
   - प्रकाशन वर्ष –
   - पृष्ठ संख्या –
   - साजिल्द / अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित।
6. आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ–पत्र देना होगा।
7. तकनीकी निविदा में मो0 25,000 / – (पच्चीस हजार) रूपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्रॉफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय के पदनाम से देय एवं बेगूसराय के भुगतेय हो संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता का पिछले तीन वर्षों में औसतन वार्षिक टर्नओभर मो0 50,00,000 / – (पचास लाख) रूपये या अधिक का होना अनिवार्य है।
9. आपूर्त्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्त्ति करने का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।
10. निविदादाता को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पुस्तक आपूर्त्ति करने का कार्यादेश प्राप्त हो।

वित्तीय निविदा की शर्तें ::–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्त्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों पर छूट की दर एवं सभी कर समेकित करते हुए एकमुश्त राशि अंकित करेंगे।

अन्य शर्तें ::–

1. निविदा दो भागों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी जो एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र बेगूसराय नगरीय क्षेत्र होगा।
3. तकनीकी निविदा के जाँचोपरांत निर्धारित मानक पर उतरने के पश्चात् ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
4. आपूर्त्ति किये जानेवाले पुस्तक पर ढुलाई आदि का अलग से कोई खर्च नहीं दी जायेगी।
5. निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. प्रत्येक पुस्तक पर ''मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना'' का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

B. Kumar 26/XII/16
जि० यो० पदा०
बेगू०

26/12/16
उप-विकास आयुक्त
बेगूसराय।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।